

बिन्दु
सं०-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा माँगी जाने वाली सूचनाओं के अवलोकन/ पाठन हेतु यद्यपि निगम मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय इकाईयों में कोई लाइब्रेरी स्थापित नहीं है तथापि नागरिकों द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत माँगी जाने वाली सूचनाओं के अवलोकन/पाठन का कार्य किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के भीतर निगम के पंजीकृत कार्यालय लेखराज मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा जनपदीय इकाई कार्यालयों में किया जा सकता है।